फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री जमनाशंकर **विपक्षी : श्री गिरधारीलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 05/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 31.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर सहमति जाहिर की हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 20.02.2019 से उभय पक्षकारान के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में ही उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है जिससे वाद में किसी प्रकार की कोई कानूनी पैचिदगीया उत्पन्न ना हों। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी न. 1648 किता 1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1164 रकबा 14 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2022.06.01 12:32:02 IST
Reason: SelfAttested